

Request-139

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-4  
संख्या- 8/2015/1111/दो-4-2015-32(1)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2015

विज्ञप्ति/नियुक्ति

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-450/एस एण्ड ए/2015, दिनांक 02-05-2015 में प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथासंशोधित के नियम-22(1) के अन्तर्गत 30प्र0 न्यायिक सेवा के 193 अधिकारियों को 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रोन्नत कर नियुक्त/तैनात किये जाने के आदेश नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या-7/2015/950/दो-4-2015-32(1)/2015, दिनांक 28-05-2015 द्वारा निर्गत किये गये थे।

2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-270/जे आर (एस)/2015, दिनांक 29-05-2015 द्वारा 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथासंशोधित के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों के नाम नियम-22(1) की व्यवस्थानुसार रोस्टर के आधार पर व्यवस्थित करते हुए नवीन समेकित अधिसूचना निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त संस्तुति के दृष्टिगत प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 28-05-2015 को अवक्रमित करते हुए 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथासंशोधित के नियम-22(1) के अन्तर्गत 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित/प्रोन्नत निम्नलिखित अभ्यर्थियों/न्यायिक अधिकारियों को प्रस्तर- 4, 5 एवं 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	भर्ती का स्रोत
1.	श्री शिव दान यादव	(प्रोन्नत)
2.	श्री कुनाल वेपा	(सीधी भर्ती)
3.	पद आरक्षित	(प्रोन्नत)
4.	श्री शाम कुमार	(प्रोन्नत)
5.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह यादव	(प्रोन्नत)
6.	श्री महेश कुमार कुशवाहा	(प्रोन्नत)
7.	श्री निर्विकार सिंह भदौरिया	(सीधी भर्ती)
8.	श्री सुनील कुमार वर्मा	(प्रोन्नत)
9.	श्री प्रफुल्ल कमल	(प्रोन्नत)
10.	श्री अशोक कुमार सिंह यादव	(प्रोन्नत)
11.	श्री कृष्ण स्वरूप धर द्विवेदी	(सीधी भर्ती)
12.	श्री अरविन्द कुमार सिंह- II	(प्रोन्नत)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Request-139

-3-

50.	श्री जितेन्द्र कुमार	(प्रोन्नत)
51.	श्री राकेश कुमार यादव	(सीधी भर्ती)
52.	श्री आनन्द कुमार	(प्रोन्नत)
53.	श्री राजेश चौधरी	(प्रोन्नत)
54.	मो० फरूख	(सीधी भर्ती)
55.	श्री अंगद प्रसाद-॥	(प्रोन्नत)
56.	श्री गुलाब सिंह-॥	(प्रोन्नत)
57.	श्री मो० रिजवान अहमद	(प्रोन्नत)
58.	श्री इफ्तेखार अहमद	(प्रोन्नत)
59.	श्री प्रदीप कुमार	(सीधी भर्ती)
60.	श्री संजय कुमार वर्मा	(प्रोन्नत)
61.	श्री राम चन्द्र यादव-।	(प्रोन्नत)
62.	श्रीमती मनु कालिया	(सीधी भर्ती)
63.	श्री अब्दुल कयूम	(प्रोन्नत)
64.	श्री सुभाष चन्द्र- VII	(प्रोन्नत)
65.	श्री नासिर अहमद-III	(प्रोन्नत)
66.	श्री सुनील कुमार यादव	(प्रोन्नत)
67.	श्री ललित नारायण झा	(सीधी भर्ती)
68.	श्री नरेन्द्र कुमार-III	(प्रोन्नत)
69.	श्री अशोक कुमार-X	(प्रोन्नत)
70.	श्री गोपाल उपाध्याय	(प्रोन्नत)
71.	श्रीमती कपिला राघव	(सीधी भर्ती)
72.	श्री राधे श्याम यादव-॥	(प्रोन्नत)
73.	श्री हीरा लाल-III	(प्रोन्नत)
74.	श्री परवेन्द्र कुमार शर्मा	(सीधी भर्ती)
75.	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	(प्रोन्नत)
76.	श्री रमेश कुमार यादव	(प्रोन्नत)
77.	श्री राकेश वर्मा	(प्रोन्नत)
78.	श्रीमती कल्पना	(प्रोन्नत)
79.	श्रीमती पूजा सिंह	(सीधी भर्ती)
80.	श्री विजय चन्द्र यादव	(प्रोन्नत)
81.	पद आरक्षित	(प्रोन्नत)
82.	श्री चन्द्रगुप्त	(सीधी भर्ती)
83.	श्री इशितयाक अली	(प्रोन्नत)
84.	श्रीमती ममता गुप्ता	(प्रोन्नत)
85.	श्रीमती अल्पना सक्सेना	(प्रोन्नत)
86.	श्रीमती वन्दना सिंह	(प्रोन्नत)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Request-139

-7-

198.	श्रीमती संगीता शर्मा	(प्रोन्नत)
199.	श्री दिनेश पाल यादव	(प्रोन्नत)
200.	श्री अरविन्द कुमार यादव-I	(प्रोन्नत)
201.	श्रीमती सोम प्रभा मिश्रा	(प्रोन्नत)
202.	श्री सैयद शहनवाज हसन	(प्रोन्नत)
203.	श्री सूबेदार सिंह	(प्रोन्नत)
204.	श्री राम किशोर-IV	(प्रोन्नत)
205.	श्री अनिल कुमार यादव-I	(प्रोन्नत)
206.	श्रीमती रीता सिंह	(प्रोन्नत)
207.	कु0 रिंकू	(प्रोन्नत)
208.	श्री अशोक कुमार-XI	(प्रोन्नत)
209.	श्री ओम प्रकाश वर्मा-III	(प्रोन्नत)
210.	श्री सन्तोष कुमार	(प्रोन्नत)
211.	श्रीमती मनीषा	(प्रोन्नत)
212.	श्री मुमताज अली	(प्रोन्नत)
213.	श्री कमला पति-I	(प्रोन्नत)
214.	श्री राकेश कुमार-V	(प्रोन्नत)
215.	श्री महेन्द्र सिंह- IV	(प्रोन्नत)
216.	श्री मो0 राशिद	(प्रोन्नत)
217.	श्री राम नारायण	(प्रोन्नत)
218.	श्रीमती चित्रा शर्मा	(प्रोन्नत)
219.	श्री अच्छे खाल सरोज	(प्रोन्नत)
220.	श्री चन्द्र पाल-II	(प्रोन्नत)
221.	श्री राज कुमार-III	(प्रोन्नत)
222.	श्री विजेन्द्र त्रिपाठी	(प्रोन्नत)
223.	श्रीमती सरला दत्ता	(प्रोन्नत)
224.	श्री रमेश	(प्रोन्नत)

4- उपरोक्त ज्येष्ठता सूची अनन्तिम मानी जायेगी तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची निर्धारित की जायेगी।

5- उपरोक्त प्रोन्नति/नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-1609/2005, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम सुभाष चन्द्र व अन्य में होने वाले अनन्तिम निर्णय तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय में योजित अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अनन्तिम निर्णय के अधीन होंगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Request-139

-8-

6- सीधी भर्ती के माध्यम से 'बार' से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के सम्बन्ध में 30प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व की अवधि का कोई प्रतिकूल तथ्य यदि अभ्यर्थी के स्वयं के संज्ञान में नहीं है तो इस आशय के शपथ-पत्र के साथ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुसार वे यथानिर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उसकी सेवा प्रारम्भ से ही शून्य (Void ab initio) मानते हुए समाप्त कर दी जायेगी। यदि प्रश्नगत अवधि में उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य उनके संज्ञान में है तो इसकी सूचना वे महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

राजीव कुमार  
प्रमुख सचिव

संख्या- 8/2015/1111/दो-4-2015-32(1)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
विशेष वाहक द्वारा

- 1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 02-05-2015 एवं दिनांक 29-05-2015 के सन्दर्भ में।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय/विधायी तथा संसदीय कार्य विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद को 30प्र0 गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- 6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 7- सम्बन्धित अभ्यर्थी/न्यायिक अधिकारीगण, द्वारा महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 8- न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।